

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 198857

(प्रारूप-अ)

शपथ पत्र

हम श्रीराम सिंह एवं डॉ० सुरेन्द्र कुमार सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेड़ा पोस्ट पन्सरिया उन्नाव उ०प्र० शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करते है।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सरदार पटेल बंश गोपाल कॉलेज ऑफ फार्मसी महाई उन्नाव नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ^{सोसाइटी 203 ममरणा के नाम 1446, 1449} ~~सोसाइटी 203 ममरणा के नाम 1446, 1449~~ _{स ममरणा} ^{1451, 1452, 1446, 1445, 1437} ~~1266, 1268, 1304~~ एवं ^{1323, 1324} ~~1266, 1268, 1304~~ कुल रकबा ^{2: 3: 37} ~~2: 3: 37~~ हे० भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० ^{1451, 1452} ~~1266, 1268, 1304~~ ^{1446, 1445, 1437} एवं ^{1449, 1448} ~~1266, 1268, 1304~~ रकबा क्रमशः ^{2: 3: 37} ~~2: 3: 37~~ हे० एवं ^{2: 3: 37} ~~2: 3: 37~~ हे० कुल रकबा ^{2: 3: 37} ~~2: 3: 37~~ हे० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक ^{05.01.2020} ~~05.01.2020~~ द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।



Handwritten signature or initials at the bottom right of the document.

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था मे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो मे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/ आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान मे संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्थान मे संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भलीभांति पालन करुंगा यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वार दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेखो/दस्तावेज फर्जी कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरादायी होऊंगा।

[Signature]
 H.O. सचिव
 सचिव

सविता एण्ड राम फाउन्डेशन
 हिन्दपाल खेड़ा पो० पसरिया
 जिला

[Signature]
 H.O. सचिव

सविता एण्ड राम फाउन्डेशन
 हिन्दपाल खेड़ा पो० पसरिया
 जिला

Wular Parbat
 Courthouse
 Jammu